

आदेश ब इजलास अन्तर सिंह नेहरा आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर
प्रकरण संख्या 195/2020 (धारा 14 सिक्योरिटाईजेशन)
मेन्टोर होम लोन्स इण्डिया लि0 (पूर्व में मेन्टोर इण्डिया लि0) पता प्रधान कार्यालय मेन्टोर हाऊस,
गोविन्द मार्ग, सेठी कालोनी, जयपुर ।

प्रार्थी वित्तीय संस्था

बनाम

1. श्री राजेन्द्र गुप्ता पुत्र श्री बाबूलाल गुप्ता
2. श्रीमती आरती कुमारी पत्नि श्री राजेन्द्र गुप्ता
3. श्री सचिन गुप्ता पुत्र श्री बाबूलाल गुप्ता
4. श्रीमती प्रेम देवी गुप्ता पत्नि श्री बाबूलाल गुप्ता
निवासी:-प्लॉट नम्बर 262, स्कीम गोदावरी नगर, ग्राम सारंग का बास, कालवाड़, जिला
जयपुर।
5. श्री ताराचन्द मीना पुत्र श्री रामसहाय मीना
निवासी:-मीनो का मोहल्ला, दुर्जनियावास, जिला जयपुर।

अप्रार्थीगण

ऋणी एवं गारन्टर

The application under section 14 of the securitisation and
reconstruction of financial assets and enforcement of security
interest Act.2002.

उपस्थित:-श्री सूरज शर्मा अधिवक्ता प्रार्थी वित्तीय संस्था की ओर से।

आदेश

दिनांक: 07.09.2020

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी वित्तीय संस्था ने अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 27.08.2018 को पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में अप्रार्थी श्रीमती प्रेम देवी गुप्ता पत्नि श्री बाबूलाल गुप्ता के स्वामित्व की सम्पत्ति प्लॉट नम्बर 262, स्कीम गोदावरी नगर, ग्राम सारंग का बास, कालवाड़, जिला जयपुर, क्षेत्रफल 111.11 वर्गगज को बन्धक रख कर 5,00,000/-रूपये की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 20.02.2020 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये गये। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था ने The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002. की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बन्धक सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने की अनुरोध किया है।

जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर

2. प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर प्रकरण दर्ज किया गया। न्याय हित में अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता श्री सत्यनारायण चौधरी द्वारा वकालतनामा पेश उपस्थित होकर वकालतनामा पेश कर ऋण राशि जमा कराने के लिए समय चाहा।
3. उभय पक्ष को गौर से सुना गया। पत्रावली एवं प्रस्तुत दस्तावेजों का भलीभांति अवलोकन किया गया।
4. वित्तीय संस्था को भारत का राजपत्र में वित्त मंत्रालय की अधिसूचना नई दिल्ली 18 दिसम्बर 2015 से सरफेरी अधिनियम 2002 के तहत वित्तीय संस्थान के रूप में निर्दिष्ट किया गया है।
5. अप्रार्थी ऋणी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को सही होना स्वीकार करते हुये वकाया राशि जमा कराने के लिए अवसर दिये जाने का निवेदन किया है, परन्तु धारा 14 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में वकाया ऋण राशि जमा कराने के लिए ऋणी को अवसर दिये जाने की अधिकारिता इस न्यायालय को नहीं है। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी वित्तीय संस्था ने अप्रार्थीगणों को 5,00,000/-रूपये का ऋण दिया है, जिसकी प्रतिभूति जमानत के रूप में अप्रार्थीगण ने उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति बंधक के रूप में प्रार्थी वित्तीय संस्था के पास गिरवी रखी है। अप्रार्थीगण का ऋण खाता एन पी ए घोषित होने से नियमानुसार ऋण वसूली के लिए वकाया ऋण राशि मय ब्याज कुल 6,88,848/-रूपये जमा कराने हेतु अप्रार्थीगण को दिनांक 20.02.2020 को अधिनियम की धारा 13 (2) के अधीन नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा उक्त नोटिस का वित्तीय संस्था को कोई जवाब नहीं दिया गया और अप्रार्थीगण द्वारा वित्तीय संस्था को वकाया ऋण राशि का भुगतान भी नहीं किया गया है। प्रकरण में वसूली योग्य वकाया राशि एक लाख रूपये से अधिक होने एवं 20 प्रतिशत से अधिक राशि वकाया होने से अधिनियम के प्रावधानों के तहत वित्तीय संस्था को बंधक रखी गई सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने का अधिकार है एवं अधिनियम की धारा 14 के तहत वित्तीय संस्था के पक्ष में बंधक रखी गई सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है।
6. आदेश : The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्रार्थी श्रीमती प्रेम देवी गुप्ता पत्नि श्री बाबूलाल गुप्ता के स्वामित्व की सम्पत्ति प्लॉट नम्बर 262, स्कीम गोदावरी नगर, ग्राम सारंग का वास, कालवाड़, जिला जयपुर, क्षेत्रफल 111.11 वर्गगज का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा जरिये सम्बन्धित पुलिस थाना प्राप्त किये जाने आदेश दिये जाते हैं।
7. आदेश की प्रति सम्बन्धित पुलिस उपायुक्त जयपुर को भेज कर लिखा जावे की उक्त सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था को प्राप्त करने में सहयोग कर वित्तीय संस्था को दिलाने हेतु संबंधित थानाधिकारी को निर्देशित करें एवं पालना रिपोर्ट भिजवाने हेतु पाबन्द करें। आदेश की प्रति हस्त कायदा जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।
8. आदेश आज दिनांक 07.09.2020 को सरे इजलास सुनाया गया।



(अन्तर सिंह नेहरा)

जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर